



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3683]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2019/कार्तिक 22, 1941

No. 3683]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2019/KARTIKA 22, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019

सं. 32/2015-2020

**विषय :** लोहा और इस्पात की आयात नीति में संशोधन करने और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 72, 73 और 86 में नीतिगत शर्तों को शामिल करने के संबंध में।

**का.आ. 4096(अ).**—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के का.आ. 3214(अ) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 17/2015-2020 दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के द्वारा शामिल नीतिगत शर्तों के भाग ड. को निम्नानुसार संशोधित करती है:

**ड. एसआईएमएस 21.11.2019 से प्रभावी होगा** अर्थात् इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा सूचीबद्ध मदों के लिए दिनांक 21.11.2019 अथवा उसके बाद का प्रविष्टि बिल एसआईएमएस द्वारा अभिशासित होगा।

**अधिसूचना का प्रभाव :** एसआईएमएस पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 20.11.2019 तक एक बारगी छूट अधिसूचित की जाती है।

[फा. सं. 01/89/180/मोनी-5852/एम-03/पीसी-2(क)/पार्ट. III/ई-2787]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

**टिप्पणी :** दिनांक 17 जनवरी, 2017 की प्रधान अधिसूचना संख्या 36/2015-2020 भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. 172(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 05 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 17/2015-2020 के तहत संशोधित और दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के का.आ. 3214(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2019

**No. 32/2015-2020****Subject : Amendment in import policy of Iron & Steel and incorporation of policy condition in Chapter 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017, Schedule– I (Import Policy).**

**S.O. 4096(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para e of the Policy conditions incorporated vide Notification No. 17/2015-2020, dated 5th September, 2019 published in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* S.O. 3214(E), dated 5th September, 2019, as under:

e. **The SIMS will be effective from 21.11.2019**, i.e. Bill of Entry on or after 21.11.2019 for items as listed in the Annex to this Notification shall be governed by SIMS.

**Effect of the Notification :** One time relaxation till 20.11.2019 for obtaining SIMS registration is notified.

[F. No. 01/89/180/Moni-5852/AM-03/PC-2(A)/Pt.III/e-2787]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &amp;

Ex-officio Addl. Secy.

**Note :** The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and amended *vide* Notification No. 17/2015-2020, dated 5th September, 2019 and published in the Gazette of India *vide* S.O. 3214(E), dated 5th September, 2019.